



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 683 राँची, मंगलवार, 30 कार्तिक, 1945 (श०)
21 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

12 सितम्बर, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-45/2018 का.- 5182--श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-285/स्था०, दिनांक 28.04.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध वित्तीय अनुशासनहीनता बरतने, वित्तीय नियमावली एवं कोषागार संहिता का उल्लंघन करने तथा सरकारी धन की हानि करने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया। पुनः उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-346/स्था०, दिनांक 31.05.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध पदीय कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने, स्वेच्छाचारिता बरतने, विभागीय निदेशों का उल्लंघन करने, सरकारी कोष को क्षति पहुँचाने तथा कोषागार संहिता का अनुपालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-1757(HRMS), दिनांक 23.08.2018 द्वारा श्रीमती खाखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-1900(HRMS), दिनांक 29.08.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-2363(HRMS), दिनांक 28.05.2019 द्वारा श्रीमती खाखा को निलंबन से मुक्त किया गया तथा प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-26572(HRMS), दिनांक 30.10.2019 द्वारा इनके विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

4. श्रीमती खाखा के पत्र, दिनांक 12.06.2023 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन हेतु अनुरोध किया गया है।

5. उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्रीमती खाखा दिनांक 23.08.2018 से दिनांक 28.05.2019 तक निलंबित रही हैं तथा संबंधित मामले में इनके विरुद्ध दण्ड भी अधिरोपित किया गया है।

अतः श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के निलंबन अवधि दिनांक 23.08.2018 से दिनांक 28.05.2019 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 11(7) के तहत इस शर्त के साथ विनियमित किया जाता है कि उक्त अवधि में इनको जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। उक्त अवधि की गणना मात्र पेंशन के प्रयोजनार्थ की जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
